न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 16/11 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2011/00118

उनवान

1. सौरभ पुत्र बसन्त कुमार नाबालिग वली सरपरस्त माता खुद गुड्डी पत्नी बसन्त कुमार जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. गुड्डी पत्नी बसन्त कुमार जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. विमला बेवा प्रहलाद
2. पूनम पुत्री प्रहलाद
3. प्रेम
4. अमरसिंह

} पिस0 श्री भरत सिंह

5. प्रेमवती पुत्री भरतसिंह
6. राश्री बेवा गुलाव
7. प्रेमवती बेवा गुट्टी
8. बसंत पुत्र गुट्टी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
10. सब रजिस्ट्रार नदबई।
11. सरपंच ग्राम पंचायत बछामदी पं.स. नदबई।
12. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक नदबई।

} जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 104/09 बउनवानी सौरभ बनाम विमला आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2011 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89,188 व 53–54 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 श्री विजय सिंह फौजदार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 22.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा मु.स. 104/09 बउनवानी सौरभ बनाम विमला आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2011, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89,188 व 53–54 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53–54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पेश कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी वर्णित वादपत्र मद सं. 2 वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई स्थित आराजी पैत्रिक भूमि होने के कारण विरासतन से वादीगण व प्रतिवादीगण के साथ बाहिस्सा बराबर सह–खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा मृतक प्रहलाद व मृतक भरत सिंह के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद किया जावे। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र बाबत् ड्रॉप किये जाने दावा उनवानी सौरभ बनाम विमला देवी प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र बाबत् ड्रॉप किये जाने दावा पर बहस सुनकर दिनांक 28.03.2011 को निर्णय पारित कर वादीगण का दावा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय सिंह फौजदार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि उत्तरवादीगण प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 11.08.2009 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये हैं। प्रार्थना–पत्र किस कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत पेश किया गया है कथित प्रार्थना–पत्र से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है इसलिए आदेश तहत कमी के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य वाद शीर्षक प्रेमवती बनाम प्रहलाद जिसके कारण प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं माना जाकर इसी स्तर पर खारिज किया है। उस वाद के दावे जबाबदावे एवं विवाद्यकों की कोई नकले प्रस्तुत वाद में पेश नहीं की गई है और न ही कोई रे सबज्यूडिस एवं रेसज्यूडिकेटा आदि की तनकी निर्मित की गयी है। इस प्रकार पूर्व के वाद विचाराधीन रहते किस कानूनी प्रावधान की वजह से प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही स्पष्ट नहीं होने के कारण खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत व निरस्तनीये है। उत्तरवादी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की परिधि में भी नहीं आता है। इसके अलावा प्रार्थना–पत्र के माध्यम से कोई विधिक आपत्तियाँ बिना जबाब दावा के पृथक से नही उठाई जा सकती है। दावा के किसी कानून से वंचित होने का बिन्दू वादपत्र के अभिवचनों से तय किया जाता है। पूर्व के दावे का प्रस्तुत दावे के चलने पर कोई विधिक अवरोध है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से यह कतई स्पष्ट नहीं है। दोनों वादों के पक्षकार एवं वाद कारण पृथक–पृथक हैं एवं अनुतोष भी भिन्न–भिन्न है। प्रार्थना–पत्र के अनुसार आदेश 23 सीपीसी के नियम का व्यवधान दावा के चलने मे अवरोधता बताया है परन्तु प्रावधान स्पष्ट नहीं किया है। प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना–पत्र पेश किया है वह भी दावा सौरभ बनाम विमला में कार्यवाही ड्रॉप किये जाने की है जो सीपीसी के किसी प्रावधान में नहीं आता है एवं बिना प्रावधान के खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 28.03.2011 निरस्त किये जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट्स ने न्यायालय तहत में अपना हक अपने दादा कमला की सम्पत्ति होने के आधार पर विवादित सम्पत्ति पर घोषणा व विभाजन का सूट दायर किया था जिसमें उनका कथन यह था कि सम्पत्ति पैतृक होने के आधार पर उसमें उनका हिस्सा है। उक्त तथ्यों पर एक दावा पूर्व में ही पक्षकारो के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के हक तय होते हैं। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे दावा उनवानी सौरभ बनाम विमला देवी ड्रॉप कराने बाबत् प्रार्थना–पत्र पेश किया था जिसमें यह कथन किया गया कि उपरोक्त उनवानी वाद न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है जिसके साथ अन्य पूर्व का वाद भी प्रेमवती बनाम प्रहलाद भी विचाराधीन है। पूर्व का वाद प्रेमवती बनाम प्रहलाद को बिना आज्ञा के प्रेस सूट दायर करने पर विड्रो भी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में में द्वितीय वाद सौरभ बनाम विमला देवी चलने योग्य नहीं था तथा आदेश 23 नियम के प्रावधानों के आधार पर काबिल निरस्तनीये था। अपीलान्ट ने यह स्वीकार किया है कि निर्णय में धारा लिखा जावे यह जरुरी नहीं है। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में प्रावधान है कि कानून के खिलाफ दावा होने पर खारिज किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2011 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 13.04.2011 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53–54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर अभिकथन किया था कि विवादित आराजी वर्णित वादपत्र मद सं. 2 वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई स्थित आराजी पैत्रिक भूमि होने के कारण विरासतन से वादीगण व प्रतिवादीगण के साथ बाहिस्सा बराबर सह–खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा मृतक प्रहलाद व मृतक भरत सिंह के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद किया जावे। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र बाबत् ड्रॉप किये जाने दावा उनवानी सौरभ बनाम विमला देवी प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र बाबत् ड्रॉप किये जाने दावा पर बहस सुनकर दिनांक 28.03.2011 को निर्णय पारित कर वादीगण का दावा खारिज कर दिया।

प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.08.2009 द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत् ड्रॉप किये जाने दावा सौरभ बनाम विमला देवी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर. टी.एक्ट. पेश कर कथन किया कि सौरभ बनाम विमला देवी उनवानी वाद न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है जिसके साथ अन्य पूर्व का वाद भी प्रेमवती बनाम प्रहलाद भी विचाराधीन है। उपरोक्त दोनों वाद समान पक्षकार व समान आराजी मुतनाजा व समान कॉज ऑफ एक्शन पर विचाराधीन है। पूर्व का वाद प्रेमवती बनाम प्रहलाद को बिना आज्ञा फ्रेस सूट दायर करने पर विड्रॉ भी नहीं किया गया है। ऐसी हालत में द्वितीय वाद सौरभ बनाम विमला देवी चलने काबिल नहीं है व आदेश 23 नियम के प्रावधानों के आधार पर काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाद सौरभ बनाम विमला देवी ड्रॉप किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश दिनांक 28.03.2011 से यह मानते हुए कि सौरभ बनाम विमला में आराजी मुताबिक नकल जमाबन्दी सं. 2065–68 के खाता सं. 406, 477, 480 में अंकित खसरा नम्बरान का दावा प्रेम बनाम प्रहलाद से मिलान किया जो उससे मेल खाते हैं। दोनों ही वाद घोषणा व बंटवारे के है। अब प्रश्न रहता है कि पक्षकारों का जो दोनों दावों में एक सौरभ बनाम विमला में बसन्त कुमार को प्रतिवादी सं. 8 बनाया गया है तथा वादीगण उसके पुत्र व पत्नी हैं। इसी प्रकार दावा प्रेम बनाम प्रहलाद में वादी बसन्त कुमार व उसकी मां हैं दोनों ही वादों में वादी एवं प्रतिवादीगण का मिलान हो रहा है। दोनों की वादों में एक कॉज ऑफ एक्सन है। प्रार्थी/प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर RRT 2009(1) 162 (H.C.) प्रकरण अब्दुल वासी बनाम अब्दुल कादिर एण्ड अदर्स में उक्त प्रकरण की परिस्थितियां एक ही प्रकार की हैं तथा उक्त नजीर में वाद पोषनीय नहीं माना है। अतः उक्त नजीर प्रकरण हाजा पर बखूबी चस्पा होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादीगण चलने योग्य न होना मानकर खारिज कर दिया।

अपीलान्ट का अपील में यह आधार रहा है कि अन्य वाद शीर्षक प्रेमवती बनाम प्रहलाद जिसके कारण प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं माना जाकर इसी स्तर पर खारिज किया है उस वाद के दावे, जबाबदावे एवं विवाद्यकों की कोई नकले प्रस्तुत वाद में पेश नहीं की गयी और न ही कोई रेस–सबज्यूडिस, रेसज्यूडिकेटा आदि की तनकी निर्मित की गयी। इस प्रकार पूर्व के वाद विचाराधीन रहते किस कानूनी प्रावधान की वजह से प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है, स्पष्ट नहीं होने के कारण खण्डनाधीन निर्णय एवं डिक्री गलत है। उत्तरवादीगण का प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की परिधि में भी नहीं आता है। इसके अलावा प्रार्थना–पत्र के माध्यम से कोई विधिक आपत्तियां बिना जबाबदावा के पृथक से नहीं उठाई जा सकती है। दावा के किसी कानून से बाधित होने का बिन्दु वाद पत्र के अभिवचनों से तय किया जाता है। वादपत्र में ऐसा कोई व्यवधान नहीं है। पूर्व दावे के चलने पर कोई विधिक अवरोध है यह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से कतई स्पष्ट नहीं है। दोनों वादों में वाद कारण पृथक–पृथक है। आदेश 23 सीपीसी के नियम का व्यवधान दावे के चलने में अवरोध बताया है परन्तु प्रावधान स्पष्ट नहीं किया है। दावा सौरभ बनाम विमला में कार्यवाही ड्रॉप किये जाने की कार्यवाही की है वह सिविल प्रक्रिया संहिता के किसी प्रावधान में नही आती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। दावा खारिज करने का यह निर्णय, निर्णय की संज्ञा में नहीं आता है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री खारिज की जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता का अपनी बहस में तर्क रहा है कि अपीलान्ट स्वयं स्वीकार करते हैं कि इस भूमि से सम्बन्धित प्रेमवती बनाम प्रहलाद दावा चल रहा है। निर्णय में धारा अंकित की जानी जरुरी नहीं है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह प्रावधान है कि कानूनी के खिलाफ दावा होने पर उसे किसी भी समय खारिज किया जा सकता है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय दिनांक 28.03.2011 का अवलोकन किया एवं पत्रावली का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.08.2009 के आधार पर दावा चलने नहीं होना मानाकर ड्रॉप किया है। जिसमें यह माना है कि दोनों ही वाद घोषणा एवं बंटवारे के हैं एवं खसरा नम्बर दोनों मे समान है। पक्षकार भी दोनों मे समान है, दोनों वादों का कॉज ऑफ एक्सन भी समान है। इस प्रकार के निष्कर्ष के आधार पर दावा खारिज किए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है बल्कि ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दोनों दावों को समेकित किया जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए। अगर सौरभ बनाम विमला दावा किसी भी विधि से बाधित है तो उसे वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर खारिज किया जा सकता है लेकिन प्रारम्भिक स्टेज पर जैसा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन कर दावा जिन आधारों पर ड्रॉप किया है ऐसा किया जाना न तो विधिसम्मत है और न ही ऐसा किसी कानून में प्रावधान है। अतः प्रकरण उभयपक्ष को समुचित सुनवाई एवं पुनर्विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश व डिक्री दिनांक 28.03.2011 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रकरण में उभयपक्ष की समुचित सुनवाई करते हुए, साक्ष्य, सबूत लेकर विधिसम्मत रुप से पुनः नये सिरे से निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष दिनांक 25.06.2026 को पेश होवें।
10. निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर